

॥ कार्यालय पुलिस उपायुक्त जयपुर ॥

परिवहन हेतु अनुमति पत्र

कोविड-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण एवं फैलाव को रोकने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में "लाक डाउन" घोषित करते हुए वाहनो के प्रचालन पर दिनांक 25.03.2020 से 14.04.2020 तक प्रतिबंध अधिरोपित किया गया है।

विशेष/आपात परिस्थिति में परिवहन हेतु अनुमति पत्र (पास) निम्नानुसार जारी किया जाता है।

अनुमति पत्र क्रमांक :- दिनांक:-

1. धारक का नाम/पता.....
2. वाहन संख्या
3. वाहन का प्रकार
4. परिवहन का कारण.....
.....
5. यात्रियो का नाम, पता, एवं गोबाईल नम्बर
1.
2.
3.
4.
5.
6. वैधता दि०2020 समय से दि०.....2020 समय तक।
7. परिवहन मार्ग:-.....